बिहार सरकार
**स्वास्थ्य विभाग**

**।। अधिसूचना ।।**

संचिका संख्याः– 16/एच–1–12/2016 – 505 –(आ0चि0)/सिविल सर्जन, गोपालगंज के पत्रांक–806 दिनांक–31.03.2022 एवं पत्राक– 1813 दिनांक–15.07.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि डा० कृष्ण कुमार मिश्र, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौसियां मॉझा, गोपालगंज को कर्तव्य के दौरान अनुपस्थित पाये जाने के कारण प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

2 विभागीय पत्रांक–790 (आ०चि०) दिनाक–29.06.2022 द्वारा डा० मिश्र से स्पष्टीकरण की मॉंग की गई। डा० मिश्र के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्राक–1243 (आ० चि०) दिनाक 03.11.2022 द्वारा सिविल सर्जन, गोपालगंज से स्पष्ट मंतव्य की मॉग की गई। सिविल सर्जन, गोपालगंज के पत्रांक–3008 दिनांक–23.11.2022 द्वारा सूचित किया गया कि डा० मिश्र द्वारा अपने पद्धति से सबंधित ईलाज नहीं करना, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से अभद्र व्यवहार करना, बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना, पूर्ण माह का उपस्थिति विवरणी मनमाने ढंग से तैयार कर समर्पित करना तथा इनका व्यवहार नियम सगत नही होने के कारण इनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशसा की गयी।

3. डॉ० मिश्र के विरूद्ध विभागीय पत्राक 692(आ0चि0) दिनाक 21.07.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए ज्ञापन निर्गत किया गया एवं एक पक्ष के अंदर अपने बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी।

4. डॉ० मिश्र द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किए जाने के कारण विभागीय पत्राक 868 (आ0चि0) दिनाक 01.09.2023 द्वारा स्मारित किया गया। डॉ0 मिश्र के द्वारा अपने पत्रांक 27 दिनाक 05.08.2023 द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया।

5 अपने लिखित अभिकथन मे डॉ० मिश्र का कहना है कि कोविड–19 के दौरान मधुमेह पीडित व्यक्ति को कार्य से मुक्त रखने का आदेश था। साथ ही आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक, एलोपैथिक दवा लिख रहे है तो होमियोपैथिक चिकित्सक द्वारा लिखा जाना किस प्रकार गलत हो सकता है। साथ ही होमियोपैथिक दवा की अनुपलब्धता के कारण मेरी प्रतिनियुक्ति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवतीथ (बैकण्ठपुर), गोपालगंज मे करना उचित नहीं है। साथ ही डॉ0 मिश्र द्वारा अपने लिखित अभिकथन में दिनाक 10.05.2021 से अनुपस्थित होने का कारण व्यक्तिगत अस्वस्थता, COVID सक्रमित होने का भय, केन्द्र पर अपनी अक्षमता एव प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बैकुण्ठपुर का टेलीफोनीक दुर्व्यवहार बताते हुए यह भी अकित किया गया है कि नियंत्री पदाधिकारी (सिविल सर्जन, गोपालगंज) से प्रतिनियुक्ति रद्द करवाने का प्रयास असफल हो गया था। बिना प्रतिनियुक्ति रद्द सदर्भी पत्र के विरमित करने का प्रश्न ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति मे वापस अपने मुख्यालय लौटना ही एकमात्र विकल्प था। वापस मुख्यालय लौटकर दिनांक 10.05.2021 को ही इसकी सूचना नियंत्री पदाधिकारी को डॉ0 मिश्र ने दी और मुख्यालय के निर्देश कि प्रत्याशा में रहे।

08/04/2024

D \Santosh Sir\Letter docx

6. डॉ0 मिश्र द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आदेश की अवहेलना की गयी है एवं नियमविरूद्ध किए गए कार्य को नियमों एवं प्रावधानो के आलोक में सही ठहराने का प्रयास किया गया है जो सरकारी सेवक के आचार नियमावली के प्रतिकूल है। डा० मिश्र द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया है तथा कोविड–19 के अवधि में रोस्टर ड्यूटी में लगाये जाने के बावजूद कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हो गए जो उनकी मानवीय असवेदनशीलता को दर्शाता है।

7. डॉ0 मिश्र से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि नियंत्री पदाधिकारी से प्रतिनियुक्ति रद्द कराने के प्रयास मे असफल हो जाने के कारण विरमित होना संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा मुख्यालय वापस लौटकर इसकी सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी को दे दी।

8 आरोपित पदाधिकारी की इस स्वीकारोक्ति से उनकी स्वेच्छाचारिता तथा सरकारी आदेश की अवहेलना के आरोप स्थापित हो जाते हैं। उपरोक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (v) के तहत प्रमाणित आरोपों के लिए एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव की शास्ति अधिरोपित करते हुए ससूचित किया जाता है।

9. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव

**ज्ञापांक :– 16/एच.1–12/2016 –**505 (आ.चि.) **पटना, दिनांक –** 08.4.2026

**प्रतिलिपि**–ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–डा0 कृष्ण कुमार मिश्र, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, गौसियां माझा, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/04/2021
**अवर सचिव,**
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

D \Santosh Sir\Letter docx